

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अतीव/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 88/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कुंठ पासी वो अंचल निरीक्षक श्री गारुडेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुठुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/11 दाग नं0 32 रकवा 01-12-00 किस्म पत्तरी बरौत श्री देवी रविदास पिता पासी रविदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री देवी रविदास को दिनांक 30/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

Be
24/5/16


अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/5/16

अभिलेख उपस्थापित।

देवी रविदास के पासी रविदास के पिता श्री
गजेन्द्र कुंठ दास उपस्थित। इनके द्वारा तत्कालीन
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी पत्र देवी भाषा में
प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रोटी-ले हिंदी में अनुवाद
30/5/16 काबिल करने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा


यह भी बताया गया कि इनकी जमीन का पूर्ण
 अधिग्रहण ~~ECL~~ ECL राजमहल परियोजना
 द्वारा उर लिया गया है। अंतिम दिनांक 11/08/2016
 को उपस्थापित करें।


 30/7/16

मनीष कुमार यादव


आरीआर

आलिखित उपस्थापित।
 भौतिक निर्गत करें।


अं.आ.
 महागामा

 21/7/2016


05.01.2021

अंतिम उपस्थापित।

राज उपनिरीक्षक, सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक
 महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ
 आभिवेदकीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवेदन
 किया प्रतिवेदानुसार आवेदन संकेतारूप पंजी - II
 रैयत का भूमि सहाय पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान
 में उक्त भूमि ई० सी० सणकरसूचक ECL क्षेत्र के
 अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आवेदन में आभिवेदकीय
 की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उपस्थापित

 अं.आ.
 महागामा


 अंचल अधिकारी
 महागामा